(11)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, म0प्र0

प्रकरण क्रमांक I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/3544 सन् 2016–17

दिलीप सिंह तनय बीरमणी सिंह यादव

निवासी राजनगर, तहसील राजनगर,

जिला छतरपुर म0प्र0 ––– आवेदक

Mo. No. 9425144980

बनाम

1. उषा पुत्री छन्नूलाल सोनी

निवासी राजनगर तहसील राजनगर

जिला छतरपुर म0प्र0

2. म0प्र0 शासन ––––– अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध तहसीलदार राजनगर के प्रकरण क्रमांक 24/अ–6–अ/2016–17 में संलग्न अनुविभागीय अधिकारी (रे0) राजनगर का आदेश दिनांक 26.08.2017 से दुखित होकर।

श्री दिवाकर श्रीवास्तव (अभि.) द्वारा आज दि. 25/9/17 प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 25.9.17

C 23.10.17

25/9/17 दिवाकर श्रीवास्तव अभि. ग्वालियर

महोदय,

–: प्रकरण का सांराश :–

इस प्रकार है कि ग्राम राजनगर, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर म0प्र0 की भूमि खसरा नं0 2337/2/1, रकवा 0.035 हे0 भूमि चार लोगो मोहनलाल, कल्ला, पिरवा, एवं कट्ट ढिमर निवासी राजनगर की थी जिसमें सभी का बराबर क हक था उक्त भमि मेसे 1 सहखातेदार पिरवा ढिमर द्वारा अपने हिस्से कीं भूम को अनावेदक कमांक 1 को विकय की गई जिसमें विकय पत्र के दोरान यह गलती हुई की उक्त भूम में उसका हिस्सा 1/4 यानि की लगभ्सग 9 आ भूमि उसके हिस्से मे थी जबकि उसके द्वारा 11 आरे भूमि का विकय कर दिया गया जो कि उसके हिस्से से अधिक थी उक्त विकय पत्र के उपरांत तहसीलदार राजनगर द्वारा नामातंरण करते वक्त बगैर खसरा रिकार्ड का अवलोकन किये, किसी भी सहखातेदार को सूचना दि नामांतरण कर

क्रमश//2//

(7)

XXXIV(4)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/3544 जिला – छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–12–17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता के बिंदु पर सुना गया । 2/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 26–8–17 के विरूद्ध पेश की है जिसके द्वारा उन्होंने तहसीलदार, राजनगर द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक 74/2010 में पारित आदेश दिनांक 28–7–10 के पुनरावलोकन की अनुमति दिया जाना न्यायोचित नहीं माना है तथा यह स्पष्ट किया है कि नामांतरण के विरूद्ध संहिता में अपील/निगरानी के प्रावधान मौजूद हैं व्यथित पक्षकार वरिष्ठ न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकते हैं । उनका उक्त निष्कर्ष अपने स्थान पर उचित है क्योंकि इस प्रकरण में तहसीलदार के समक्ष पुनरावलोकन का आवेदन उनके पूर्व के आदेश दिनांक 28–7–10 के विरूद्ध वर्ष 12–6–17 को प्रस्तुत किया गया है । इतने लंबे समय उपरांत अपीलीय आदेश के पुनरावलोकन की अनुमति दिया जाना ना तो औचित्यपूर्ण है और ना ही न्यायिक । दर्शित परिस्थिति में अनुविभागीय अधिकारी के आलोच्य आदेश की पुष्टि करते हुए यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	